"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2004—फाल्गुन 22, शक 1925

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजू आत्मज स्व. श्री रामलाल मंडावी, परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्यरत हूं मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश राजू आत्मज रामलाल दर्ज है. मैं अपना उपनाम परिवर्तन कर राजू मंडावी आत्मज स्व. रामलाल मंडावी रख लिया है तथा इस आशय का शपथ-पत्र दे दिया है. अतः भविष्य में मुझे राजू मंडावी आत्मज स्व. रामलाल मंडावी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
राजू आ. रामलाल

नया नाम
राजू मंडावी आत्मज रामलाल मंडावी
सुरक्षा प्रहरी निवासी
इंदिरा नगर, वार्ड नं. 41
राजनांदगांव.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुधीर कुमार बौद्ध आत्मज रामदास बौद्ध, ग्राम मोरिद, तहसील पाटन, पोस्ट डुंडेरा, जिला दुर्ग का निवासी हूं. मैं अपना नाम परिवर्तन कर सुधीर कुमार आत्मज रामदास रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र दे दिया हूं. अत: भविष्य में मुझे सुधीर कुमार आत्मज रामदास के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
सुधीर कुमार बौद्ध
आत्मज रामदास
ग्राम मोरिद, तहसील पाटन
पोस्ट डुंडेरा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
सुधीर कुमार
आत्मज रामदास
ग्राम मोरिद, तहसील पाटन
पोस्ट डुंडेरा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 19 जनवरी 2004

[धारा 5 (1) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951]
नियम (1) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1957

समक्ष :—पंजीयक सार्वजनिक न्यास, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव.

क्रमांक 52/प्र-1/04.—इस न्यायालय में अध्यक्ष श्री सत्यनारायण मंदिर समिति, राजनांदगांव ट्रस्ट पंजीयक क्रमांक/ब/113 वर्ष 1997 दिनांक 18-1-96 द्वारा कराया गया है. पंजीयन के समय प्रस्तुत विधान की कंडिका 6 (अ) में टंकण त्रुटिवश 26 सदस्य टंकित है जबकि समिति में 27 सदस्य होना बताया गया है. जिसके संशोधन हेतु मेरे न्यायालय में दिनांक 28-10-03 से विचाराधीन है.

उक्त संबंध में कोई व्यक्ति रुचि रखता हो या किसी प्रकार से आपत्ति हो, तो वह सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर लिखित आपत्ति दो प्रतियों में तैयार कर उपरोक्त दिनांक को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. बाद में प्राप्त होने वाले आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आर. आर. ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.